मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :–269 / 2023

1 जगतार सिह पुत्र जोगेन्द सिह जाति जटसिख निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1 जोगेन्द्र सिह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2. बलजीत कौर पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3. कर्मजीत पत्नी नक्षत्र सिंह पुत्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ।

4 अमनदीप कौर पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।

5. अमनदीप कौर उर्फ दीपा कौर पत्नी वीर सिंह पुत्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

6. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय दिनांक :– 17.05.2024

वादी की ओर से श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.5.24 को स्वाति गुप्ता आर ए एस उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वादी के विद्धान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत आ[illegible]कर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी जगतार सिंह को [illegible] बी.आर.डबल्यू. जमांबदी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 76 / 57 पत्थर नम्बर 233 / 318(63) कि[illegible] नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12, 20 / 1.7710 हैक्टर व चक 3 बी.आर.डबल्यू. जमाबदी सम्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.30 15:54:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जाकर चक नम्बर 3 बी.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 76/ में से प्रतिवादी संख्या 1 जोगेन्द्रसिंह का हिस्सा कम व इसी चक के खाता संख्या 75/58 में से जोगेन्द्र सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान क़ायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 17.05.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--	योग	--
योग	--		

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.30 15:54:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner